सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 13.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना गोल्हौरा पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डां. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व शुभेंदु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण व राजेश कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा के नेतृत्व में थाना गोल्हौरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 60/2025 धारा 69 बीएनएस-2023 में वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र चुनमुन साकिन पीपरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर को महुआ खुर्द पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.पंकज पुत्र चुनमुन साकिन पीपरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण--

01.उ0नि0 रणविजय सिंह थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

02. हे0का0 जयसिंह चौरसिया थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 13.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना जोगिया उदयपुर पुलिस व जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित ₹25000/- का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण व अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर मय टीम व जीवन त्रिपाठी प्रभारी एसओजी मय टीम द्वारा थाना बांसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2025 धारा 2(ख)(17) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 में थाना जोगिया उदयपुर से ₹25000/- का इनामिया वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 13.06.2025 को थाना जोगिया उदयपुर क्षेत्र के जगमोहनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-ऐस मोहम्मद उर्फ समीर अंसारी पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी ग्राम तुरकौलिया तिवारी थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण

01.मु0अ0सं0 126/2025 धारा धारा 2(ख)(17) एवं 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

02.मु0अ0सं0 10/2025 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण

01.अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ0नि0 जीवन त्रिपाठी प्रभारी एसओजी जनपद सिद्धार्थनगर।

03.हे0का0 राजीव शुक्ला, आशुतोष धर द्विवेदी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

05.आरक्षी सत्येन्द्र यादव, रोहित चौहान एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर

07.आरक्षी प्रदीप उपाध्याय, विरेन्द्र यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 13.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 13.06.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। कुल 22 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 07 भूमि विवाद, 06 मारपीट तथा शेष 09 अन्य से संबन्धित थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 13.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा सामूहिक दुश्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डा0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व शेषनाथ यादव थानाध्यक्ष थाना कठेला समयमाता के नेतृत्व में थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2025 धारा 70(1) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को आज दिनांक 13.06.2025 गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.आमिर पुत्र अनवर ग्राम चेचराफ बुजुर्ग टोला पश्चिमडीह थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01.उ0नि0 शिवशंकर शर्मा थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर।

02.आरक्षी हरिकेश पासवान, राजेश यादव थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 13.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 13-06-2025 को ST.N 442/2022 मु0अ0सं0 62/2022 धारा 304 भादवि थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मो0 रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मिथुन पुत्र अमीरख माझी निवासी ग्राम सिधौरा टोला उत्तमपुर थाना वजीरगंज जिला गया राज्य बिहार हाल मुकाम खान ब्रिक फिल्ड दनियापार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 13-06-2025 महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में चलाये जा रहे परिवार परामर्श केंद्र जब/नई-किरण(टूटते परिवार को जोडने की एक पहल कार्यक्रम) के तहत महिला थाना द्वारा 02,परिवार के मध्य सुलह समझौता कराकर उनके परिवारो को बिखरने से बचाया गया

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 13.06.2025 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण(टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारामर्थ प्रस्तुत हुई। जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर, परिवारों को बिखरने से बचाया गया व 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है 02 परिवार को बिखरने से बचाने में थाना अध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान उप निरीक्षक श्रीमती मीरा वर्मा, म0हे0का सत्या त्रिपाठी, सविता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण निम्न हैं.

01. सैकून निश पत्नी शहाबुद्दीन साकिन बेलसर थाना सिद्धार्थ नगर

02. आंचल पत्नी घनश्याम निवासी जंगलीपुर थाना भवानीगंज जनपद जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 13.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

◆आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों से आपस में सौहार्द बनाये रखने की अपील की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 13.06.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने तथा अफवाहो से बचने की अपील की गयी।